BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 01 सितम्बर 2023

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर 04 हत्यारोपी को आजीवन सश्रम कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-प्रमोद पुत्र घनश्याम 2-बिनोद पुत्र घनश्याम 3-गजेन्द्र पुत्र लख्मी 4-प्रवीन पुत्र नेपाल निवासीगण ग्राम डडुवा थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2010 में अपने गांव निवासी श्रीपाल की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 25.11.2010 को थाना शिकारपुर पर मुअसं- 265/10 धारा-147,148,149,302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 26.12.2010 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 01.09.2023 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-01, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रमोद, विनोद, गजेन्द्र, प्रवीन को सश्रम आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विजय कुमार शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर